Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 GISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

महिला समाख्या, कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय तथा स्त्री शिक्षा : एक अध्ययन

डॉ0 वंदना कुमारी
पूर्व शोध छात्रा, शिक्षा संकाय
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत।

सारांश– वर्तमान समय में भारत की नारियों में नवचेतना हैं, नवजागृति है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, परंतु उसके साथ ही साथ कर्तव्य के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। देश के उत्थान में उन्हें हाथ बंटाना चाहिए। वह समय निकट ही है जबकि वे जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में पुरूषों के समान समझी जायेगी और अपनी प्रतिभा से देश को समृद्धशाली बना सकेंगी।

मुख्य शब्द– महिला समाख्या, कस्तूरबा गॉधी, आवासीय विद्यालय, स्त्री शिक्षा, भारत, सामाजिक, आर्थिक।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला समख्या योजना में समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के केंद्रीयकरण को मान्यता प्रदान की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाख्या के तहत एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाए प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला समख्या के तहत शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया है अपितू इससे प्रश्न पूछने, मुद्दों और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया के रूप से माना गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिससे महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन कर सके, अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सके और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके। इसमें महिलाओं को अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाने तथा महिलाओं की ''परम्परागत भूमिकाओं''के संबंध में

समाज की अवधारण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। यह अनिवार्य रूप से महिलाओं को विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ से वंचित तथा अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को सक्षम बनाता है ताकि वे अलगाव और आत्मविश्वास की कमी तथा कठोर सामाजिक प्रथाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके और अपने अस्तित्व के लिए संधर्ष कर सके।

महिला समाख्या एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। इसके लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हुए महिलाओं के साथ कार्य करता है। सशक्तिकरण के लिए जागरूकता भी आधारभूत तत्व है। अतः महिला समाख्या जागरूकता के लिए जानकारियों के विस्तार को केंद्रित कर विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों का संपादन करती हैं। इन सभी कार्यकलापों और गतिविधियों का संचालन करने के लिए संगठन एक माध्यम बनता है।

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजनाः–

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्वशिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के तहत सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गयी थी, लेकिन एक अप्रैल 2007 से इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े समुदायों में लैगिक असमानता की भावना अभी भी कायम है। पंजीयन के आंकड़े से साफ पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर अभी भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन बहुत कम है। कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पिछड़े समुदाय के लड़कियों को आवासीय सुविधा के साथ गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

यह योजना सिर्फ उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें 2001 के सेन्सस डेटा द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा प्रखंड घोषित किया गया है। जहॉ महिला साक्षरता दर लैगिक असमानता राष्ट्रीय औसत से कम है। इन प्रखंडों में विद्यालय निम्न क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैंः–

(i) सघन पिछड़ी जनजाति वर्ग के क्षेत्र जहॉ महिला साक्षरता कम है।

(ii) सघन पिछड़ी जाति के क्षेत्र जहॉ महिला साक्षरता कम हो।

(iii) ऐसे क्षेत्र जहॉ महिला साक्षरता कम हो।

ऐसे क्षेत्र जहॉ छोटे, बिखरे हुए बस्तियों की संख्या अधिक हो तथा जो स्कूल स्थापित होने की न्यूनतम मापदंडों को पूरा नहीं करता हो। आवासीय विद्यालय की स्थापना जहॉ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की कम से कम 50 लड़कियॉ प्राथमिक स्तर पर स्कूल के अध्ययन के लिए उपलब्ध हो, के लिए की गयी है। इन स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, स्कूलों के लिए आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी व खरीद करना, अकादमिक सहायता प्राप्त करने के लिए व मूल्यांकन व निगरानी के लिए उचित प्रणाली का प्रयोजन होना, लड़कियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना साथ ही दुर्गम क्षेत्र में प्रवासी आबादी, बिखरे हुए बस्तियों, प्राथमिक स्तर पर अधिक उम्र की लड़कियों को जो स्कूल से बाहर है और जो पढ़ाई पूरा करने में असमर्थ है, विद्यालय की ओर से आकर्षित करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों विशेष रूप से, किशोर लड़कियों, ध्यान देना जो नियमित रूप से स्कूल जाने में असमर्थ है। योजना के लक्षित प्रकृति के दृश्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से 75% लड़कियों को ऐसे आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी और उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 25% लड़कियों को मौका दिया जाएगा। स्थापित गैर सरकारी संगठनों और अन्य गैर लाभ वाले निकायों के मदद से इन आवासीय स्कूलों को चलाया जाय

हालांकि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरूष साक्षरता दर से कम है। लडको की तुलना में बहुत ही कम लड़कियॉ स्कूल में दाखिला लेती है और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। 1997 के नेशनल सैम्पल सर्वे डाटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों के सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर को हासिल किया। ज्यादातर विद्ववानों में केरल ने महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है।

आजकल पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाऍ चलायी जा रही है। विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों को सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश की जा रही है। परंतु कई बार सरकार द्वारा ईमानदारी से की जा रही कोशिश का लाभ उसके वास्तविक हकदार तक नहीं पहुंच पाता हैं। सरकारी योजनाएं और जमीन हकीकत में बहुत अंतर होता है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि सरकार द्वारा गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए जब कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय तथा इसके

जैसी अन्य आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे है और कई स्कॉलरशीप प्रदान किये जा रहे है फिर क्या कारण है कि बालिका शिक्षा के ग्राफ में संतोषजनक वृद्धि नही हो पा रही है?

आवश्यकता है ऐसी योजनाओं को ठोस रूप में लागू करने की। वहीं समाज विशेषकर माता–पिता की मानसिकता को बदले बगैर यह संभव नहीं हो सकता है। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता कि शिक्षा वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता हैं। फिर ऐसे खजाने से मालामाल करने से लड़कियों को रोकना क्यों उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी?

स्त्रियों को अपने उत्थान के लिए शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है। स्त्रियॉ वर्तमान में इस कठोर पितृसत्तात्मक समाज में समानता प्राप्त करना चाहती है । परिवर्तन के लिए वे वहीं उपाय अपनाना चाहती है जो पुरूष सदियों से स्वयं के लिए अपनाते रहे हैं। प्रश्न यह है कि स्त्रियां पुरूषों के पदचिन्हों पर क्यों चलना चाहिए है? स्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता पूर्व अनेक महिलाओं ने गॉधी जी के साथ कार्य किया। आज स्त्रियों के लिए पुरूषों के समान और समाज के सभी सदस्यों के समान सम्मानित जीवन प्राप्त करने के महिला संगठनों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनैतिज्ञों ने कीमत–वृद्धि, दहेज, बलात्कार और शोषण आदि के मुद्दों को उठाया है। स्त्रियों ने पुलिस और ऐसी ही अन्य सेवाओं में अपनी हिस्सों की मांग की है। महिला संगठनों ने, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, यौन–समानता के लिए चेतना की भावना उत्पन्न की है।

आज लड़कियों की शिक्षा के नाम पर बस उसे साक्षर बनाया जाता है, लोगों की नजरिया अभी भी स्त्री शिक्षा के प्रति बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लड़कियों को स्नातक या स्नातकोतर कराने के बाद उसकी शादी कर देते हैं, ये नहीं सोचते की आगे चलकर क्या करेगी। बचपन से ही उसकी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आवश्यकता है समाज को स्त्री शिक्षा के बारे में सोचने के लिए कि स्त्री की शिक्षा रचनात्मक ढंग से होनी चाहिए । जिसके कारण वे परम्परागत शिक्षा को महसूस करें। जिससे वे आत्मनिर्भर बन जायेगी और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढेगी और समाज की भी प्रगति होगी। ज्ञातव्य है कि वर्तमान शिक्षा स्त्रियों के लिए अनुपयोगी हो गयी है। साथ ही विद्यालयी शिक्षा में अरूचि, माता–पिता की सहायता, आर्थिक तंगी, विद्यालयों का अभाव आदि कारण भी स्त्री–शिक्षा में बाधक पाये गये हैं। इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपने सामाजिक परिवेश एवं अपनी संस्कृति की तरफ देखना होगा जिनसे वे स्त्रियॉ जुड़ी हुई है। महिलाओं द्वारा अनेक परम्परागत उत्पाद जैसे पत्तल, दोने, पापड़, ईंट, मिट्टी के बर्तन, बर्तनों पर फुलपतियॉ बनाना तथा उनकी रंगाई करना, चटाई,

कालीन, आचार, मुरब्बा आदि तैयार किये जा सकते है जिनको करने के बाद महिलाएँ अपनी स्थिति में सुधार ला सकती है।

वर्तमान समय में भारत की नारियों में नवचेतना हैं, नवजागृति है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, परंतु उसके साथ ही साथ कर्तव्य के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। देश के उत्थान में उन्हें हाथ बंटाना चाहिए। वह समय निकट ही है जबकि वे जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में पुरूषों के समान समझी जायेगी और अपनी प्रतिभा से देश को समृद्धशाली बना सकेंगी।

संदर्भ ग्रंथः–

1. रूहेला, एस0पी0 (2010) –शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अलका गुप्ता (2007)–भारतीय शिक्षा का तानाबाना, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
3. कबीर, हुमायुं (1956)– स्वतंत्र भारत में शिक्षा राजपाल एवं सन्स, दिल्ली।
4. Mahila Samakhya Bihar, Repot of Activities
5. National Policy of Education- New Delhi: Govt. of India, 1986.
6. http://him.wikipedia.org.